

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं ह०), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1420

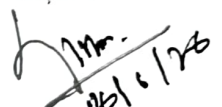
दिनांक 16.06.2026

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 को आयोजित कार्यशाला में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण कार्यालय आदेश संख्या ए.ई./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/1353 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से श्री पवन कुमार जायसवाल, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या 1625 की दिनांक 21.11.2025 की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस घोषित किया गया था।

अब, श्री पवन कुमार जायसवाल के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त महालेखाकार महोदय ने, श्री जायसवाल द्वारा कारित पहली त्रुटि के दृष्टिगत, एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुये उक्त अकार्य दिवस के आदेश को निरस्त कर दिया है। अतः तदनुसार श्री पवन कुमार जायसवाल, प्रभागीय लेखाकार को दिनांक 21.11.2025 के कार्य दिवस हेतु वेतन एवं भत्ते देय है।

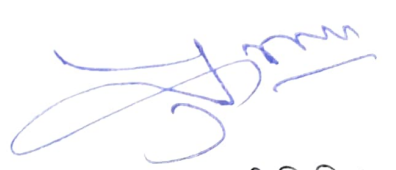
अग्रेतर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा /अनदेखी किया जाना केंद्रीय सिविल सेवाये (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधानों को आकृष्ट करता है। अतः महालेखाकार महोदय के निर्देशानुसार श्री पवन कुमार जायसवाल, प्रभागीय लेखाकार को एतद्वारा सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति को गंभीरता से लिया जाएगा तथा तदनुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी।


वरिष्ठ उप महालेखाकार /निर्माण

संख्या- ले.एवं.ह./03/नि.वि-1/वर्ग-1/क्षमता निर्माण/533/ 2025/खंड-1/164-167 दिनांक .06 .2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री पवन कुमार जयसवाल, प्रभागीय लेखाकार, व्यक्तिगत संख्या-1625, को कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से
2. अधिशाषी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड, वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रविष्टि श्री पवन कुमार जयसवाल, प्रभागीय लेखाकार की सेवा पुस्तिका में करना सुनिश्चित करे तथा श्री पवन कुमार जयसवाल को दिनांक 21.11.2025 के वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने का कष्ट करें।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी /नि० वि-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी /आई० टी० सी० जी०, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि-1